

विधान सभा आतारकित प्रश्न क्र.1674 श्री हर्ष यादव

[20/7/2017]

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'सीस'

प्रश्न सं. [क्र. 1674]

क्र	नाम / पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	किन मामलों में चालान की कार्यवाही	मामले का संक्षिप्त विवरण
1	श्री ऋक्षेश रावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा जिला सीवा	वर्तमान में निलंबित, जिलाबन उपरांत मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट	अप.क्र.195/14 लोकानुवर्त ट्रेप प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी उपरान्त चालान प्रस्तुत होने पर निलंबित किया गया।	माननीय विशेष न्यायालय पीसीएक्ट सीवा द्वारा प्रकरण क्र. 05/2015 को समाप्त करते हुए दिनांक 12.01.2016 में प्रार्थी को उन्मोचित किया गया है।
2	श्री सुनील खत्री विकास खंड अधिकारी घो. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शाजापुर	निलंबित कार्यालय पंचायत नीमच	अप.क्र.13,14,15/10.(निर्माण कार्य में अनियमितता) में अभियोजन स्वीकृति जारी उपरान्त दिनांक 28 व 30.09.2013 को चालान प्रस्तुत होने के कारण विभागीय आदेश क्र.09 दिनांक 04.12.13 से निलंबित किया गया।	शाजापुर जिला अन्तर्गत मनरेगा के निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं के संबंध में।
3	श्री रामनिवास शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	निलंबित मुख्यालय जिला पंचायत सीधी।	अप. क्र.26/11 (ट्रेप प्रकरण में चालान प्रस्तुत होने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 02.03.12 से निलंबित किया गया।)	ट्रेप प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2016 से दोषमुक्त।
4	श्री अनिल कुमार तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रावौगढ़, जिला गुना	वर्तमान में जनपद पंचायत मिझौली जिला सीधी में पदस्थ।	अप.क्र.138/98, में दिनांक 28.10.06 को मान.विशेष न्याया. सतना.में चालान प्रस्तुत होने के कारण विभागीय आदेश दि. 20.11.06 से निलंबित।	जिला सतना में शिक्षा कर्मियों की भर्ती में कथित अनियमितता के कारण दिनांक 28.10.06 को मान. विशेष न्याया. सतना.में चालान प्रस्तुत होने के कारण विभागीय आदेश दि. 20.11.06 से निलंबित। आदेश क्र 11331 दि. 15.07.11 द्वारा निलंबन से बहाल।
5	श्री उदय प्रताप सिंह भदौरिया, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला नरसिंहपुर	वर्तमान में मुख्यालय जिला पंचायत मंडला	अप.क्र.516/13 (ट्रेप प्रकरण) में अभियोजन स्वीकृति जारी उपरान्त चालान प्रस्तुत होने के कारण आदेश क्र. एक 5-3/वि-5/22/स्था./2014, भोपाल, दिनांक 16.06.2017 द्वारा निलंबित किया गया।	ट्रेप प्रकरण में चालान प्रस्तुत होने के कारण निलंबित। प्रकरण मान. न्याया. में विचारधीन।

<p>6. श्री कुबेर सिंह मिर्धा (सहायक यंत्री) तत्काल. प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रा.या. सेवा रायसेन</p>	<p>वर्तमान में मुख्यालय मंडल कार्यालय मुरैना</p>	<p>अप.क्र.171/12, (ट्रेप. प्रकरण) में अभियोजन स्वीकृति जारी उपरान्त चालान प्रस्तुत होने के कारण आदेश क्र. 11698, दिनांक 22.11.2013 द्वारा निलंबित किया गया।</p>	<p>ट्रेप प्रकरण में यत्न प्रस्तुत होने के कारण निलंबित। प्रकरण मान. न्याया. में विचाराधीन।</p>
---	--	---	--

